न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम आजम

मु0अ0सं0—1250 / 2019
धारा—380 / 411 भा0दं0सं0
थाना—भोजपुर

06.08.19

अभियुक्त आजम की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—1250 / 2019 धारा—380 / 411 भा0दं0सं0 थाना—ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर चोरी करने व माल बरामद होने का आरोप है। अभियुक्त की निशानदेही पर 1200 / — रूपये बरामद हुए। अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त आजम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र धारा—380 / 411 भा0दं0सं0 में निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा